

Title: Regarding Supreme Court's order to withdraw 9000 diesel buses from the road of Delhi.

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से (व्यवधान)

MR. SPEAKER : Nothing will go on record except the statement of Shri Madan Lal Khurana. (Interruptions)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली में चरण बद्ध तरीके से डीजल बसों को हटाने की प्रक्रिया के तहत 31 जनवरी, 2002 तक 9000 डीजल बसे हटाने की योजना है। (व्यवधान) दिल्ली में कुल 12000 बसों की फ्लीट है जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 31 जनवरी, 2002 तक 9000 बसों को दिल्ली की सड़कों से हटा दिया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग व दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इन बसों को दिल्ली की सड़कों से बाहर करने पर तुली है। (व्यवधान) दिल्ली की जनता और विशेषकर स्कूली छात्रों की कठिनाईयों की तरफ इनका ध्यान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किस तरह जमीनी हकीकत को अनदेखा कर आदेश जारी कर रही है, इसका एक उदाहरण यह है कि केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक जी ने लिखित रूप में कहा है कि वे अतिरिक्त डेढ़ सौ बसों को ही एक माह में सी.एन.जी. उपलब्ध करा सकते हैं - यदि 1 जनवरी, 2002 तक अगर 9000 बसें आ भी गईं, जो बिल्कुल असंभव है, उनके लिए सी.एन.जी. कहां से आयेगी?

पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक जी ने लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया है कि हम मार्च, 2002 तक टोटल 4500 बसों को ही सी.एन.जी. उपलब्ध करा सकते हैं। (व्यवधान) दिल्ली सरकार द्वारा 20 नवम्बर, 2001 को सुप्रीम कोर्ट में दी गई स्टेटस रिपोर्ट में सूचित किया गया है कि दिल्ली में 4788 सी.एन.जी. बसें आ चुकी हैं। अब मार्च, 2002 तक और सी.एन.जी. बसों की गुंजाईश ही कहा है? अतः डीजल बसों को चलाना बस मालिकों के लिए मजबूरी है। (व्यवधान)

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, चाहे ट्रांसपोर्टों के बारे में हों या लघु उद्योगों के बारे में हों, ये सब फैसले जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। (व्यवधान) उदाहरण के लिए, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि दिल्ली के सभी वाहनों को सी.एन.जी. के अन्तर्गत चलाना पड़ेगा। लगभग 50 हजार तिपहिया और टैक्सियों में से 30 हजार तिपहिया और टैक्सी वालों ने अपने वाहन सी.एन.जी. में परिवर्तित भी करा लिये परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तिपहिया व टैक्सी वालों के लिए ये आदेश दिए ही नहीं थे।

पिछले वा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगभग 25 हजार लघु व कुटीर उद्योगों को सील अथवा बंद कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप लगभग ढाई लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। पिछले एक वा में सील किए गए हजारों लघु उद्योगों के मालिक यह शपथ पत्र देने को तैयार हैं कि वे अपना व्यवसाय बदलना चाहते हैं परंतु फिर भी उनके उद्योगों की सील नहीं खोली जा रही। दिल्ली के लगभग ढाई से तीन लाख परिवार इससे बर्बाद हो गए। (व्यवधान) पिछले वा सील करते समय उद्योगपतियों को आश्वासन दिया गया था कि अक्टूबर, 2001 तक बवाना में औद्योगिक क्षेत्र तैयार कर उन्हें वहां स्थानान्तरित किया जाएगा। बवाना औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना तो दूर, अभी तक वहां बिजली, पानी व सीवर की लाईनें भी नहीं पड़ी हैं, अलाटमेंट होना तो बहुत दूर की बात है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्लीवासियों को कब तक बर्बाद किया जाता रहेगा? (व्यवधान) पिछले लोक सभा अधिवेशन के अंतिम सप्ताह में दिल्ली के सांसदों की केन्द्रीय गृह मंत्री श्री लाल कृण आडवाणी जी के साथ हुई बैठक में विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया था कि अगर अगली पेशी में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में संशोधन न हुआ तो केन्द्रीय सरकार इस संदर्भ में अध्यादेश जारी करेगी। (व्यवधान) उस बैठक के बाद केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक जी ने संवाददाताओं के सामने अप्रत्यक्ष रूप से घोणा भी कर दी थी।... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat. There are other important notices also. Today more than forty hon. Members have given important notices. You are not allowing other Members to speak.... (Interruptions)

MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.46 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.
